अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नोखा

श्रीकिशन पुत्र हुकमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी हिम्मटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 160/2019 U/S 136 RLRA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.12.2019	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री टिकमसिंह राठौड़ ने प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेजात में श्रीकिशन पुत्र हुकमाराम अंकित है जबकि वाके रोही हिम्मटसर के नया खाता सं. 503 पुराना 480 के खेत खसरा नम्बर 2105/167 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1196 रकबा 5.37 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2108/213 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.81 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्री राम पुत्र हुक्माराम अंकित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किंये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही हिम्मटसर के नया खाता सं. 503 पुराना 480 के खेत खसरा नम्बर 2105/167 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1196 रकबा 5.37 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2108/213 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.81 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी श्री राम पुत्र हुक्माराम के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र हुकमाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया। 23/12 (रमेश देव) उपखण्ड अधिकारी नोखा उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.02.17 21:57:37 IST
Reason: SelfAttested